

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 25/06/2024

:: संशोधित आदेश ::

क्रमांक 869 /एफ 1/1/1/0019/2024/मेडि-सत्रह :- विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 730, 728 एवं 726/एफ 1/1/1/0019/2024/मेडि-सत्रह दिनांक 21.05.2024, द्वारा प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। 2/- उक्त आदेशों में निम्नानुसार चिकित्सा शिक्षकों के पदस्थापना स्थल को संशोधित कर उनके सम्मुख कॉलम क्र.-5 में दर्शाये गये नवीन पदस्थापना स्थल पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	चिकित्सा शिक्षक का नाम	विभाग	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1.	डॉ. सुनीलकांत गुलेरी, प्राध्यापक	कम्युनिटी मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्योपुर।	सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
2.	डॉ. राजवीर सिंह चौरसिया, प्राध्यापक	एनाटॉमी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्योपुर।	सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।
3.	डॉ. सचिन परमार, सह प्राध्यापक	कम्युनिटी मेडिसिन	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिंगरौली।	वीरेन्द्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच।
4.	डॉ. क्षितिज गुप्ता, सह प्राध्यापक	जनरल सर्जरी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिवनी।	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना।
5.	डॉ. आनंद गुप्ता, सहायक प्राध्यापक	जनरल सर्जरी	सुन्दरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मंदसौर।	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना।
6.	डॉ. पारस नाथ साहू, सहायक प्राध्यापक	जनरल सर्जरी	वीरेन्द्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नीमच।	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिंगरौली।

निरंतर-2



2/ उपरोक्तानुसार चिकित्सा शिक्षकों को पूर्व में जारी नियुक्ति आदेश की शर्तें पूर्व अनुसार यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सुरभि गुप्ता)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 870/एफ 1/1/1/0019/2024/मेडि-सत्रह भोपाल, दिनांक 29/06/2024
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय उपमुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 2. निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 3. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 5. निज सचिव, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
 7. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 8. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 9. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
 10. संचालक, राजपत्रित शाखा, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल।
 11. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 12. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, मध्यप्रदेश।
 13. संबंधित चिकित्सा शिक्षक डॉ.
 14. आदेश/गार्ड फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग